Ph:01681:245872, Fax:245179 e.mail:jinddccb@yahoo.com, cbsjind.haryana@gmail.com

CO-OP दी जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,जीन्द
मुख्य कार्यालय

दी जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,जीन्द का हरियाणा राज्य के गठन के समय संगरूर केन्द्रीय सहकारी बैंक से अलग होकर 1 नवम्बर 1966 को अस्तित्व मे आया । बैंक का मुख्य कार्यालय Bays No. 1 to 4, District Shopping Centre, Urban Estate Jind मे स्थित है तथा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाईसैन्स प्राप्त कर के समस्त जिला जीन्द मे अपनी 33 शाखाओ के माध्यम से बैंकिग कार्य रहा है तथा 31 पैक्सों के माध्यम से जिला जीन्द के सभी किसानो को खाद,बीज,दवाई की ऋण सुविधा प्रदान कर के उनके सामाजिक आर्थिक जीवन मे सहयोग कर रहा है । इस बैंक द्वारा जिला जीन्द मे अपने ग्राहको को निम्न ऋण/योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जिस का विवरण निम्नप्रकार से है :–

1– **पैक्स के माध्यम से पैक्स के सदस्यो को दी जाने वाली स्कीमो का विवरण :–**

1–**किसान केडिट कार्ड** :–

उदेश्य :– किसानो को फसल के लिए कर्जा देना ।

पात्रता:– सम्बन्धित पैक्स का सदस्य होना अनिवार्य है व सदस्य के नाम कृषि जमीन की मलकीयत या सदस्य काश्तकार,पैक्स का अतिदेय ऋणी न हो और सदस्य दिवालिया न हो ।

ऋण राशि :– कृषि भूमि के अनुसार अधिकतम ऋण सीमा मु0 1,12.500/–नगद व 37500/– काईन्ड के रूप में कुल मु0 1,50000/–रूपये है ।

ब्याज दर :– 7 प्रतिशत वार्षिक

विशेषता :– ऋण समय अवधि के दौरान ऋण की वसूली देने पर सदस्य को भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत का इन्सेटिव व हरियाणा सरकार द्वारा 4 प्रतिशत का इन्सेटिव के रूप मे लाभ दिया जाता है इस प्रकार सदस्य को शून्य प्रतिशत पर उक्त ऋण प्राप्त होता है ।

2– **ग्रामीण दस्तकार को ऋण सुविधा** :–

उदेश्य :– ग्रामीण दस्तकार को उनके रोजगार कार्य मे सहयोग के लिए ऋण

पात्रता:– सम्बन्धित पैक्स का सदस्य होना अनिवार्य है, पैक्स का अतिदेय ऋणी न हो, और सदस्य दिवालिया न हो ।

ऋण राशि :– आवश्यकता अनुसार अधिकतम ऋण सीमा मु0 35000/– रूपये

ब्याज दर :– 12 प्रतिशत वार्षिक

3–**अकृषक /ग्रामीण दुकानदारो को ऋण** :–

उदेश्य :– ग्रामीण दुकानदार को उनके रोजगार कार्य मे सहयोग के लिए ऋण

पात्रता:– सम्बन्धित पैक्स का सदस्य होना अनिवार्य है पैक्स का अतिदेय ऋणी न हो और सदस्य दिवालिया न हो ।

जारी/–

ऋण राशि :– आवश्यकता अनुसार अधिकतम ऋण सीमा मु0 35000 / – रूपये

ब्याज दर :– 12 प्रतिशत वार्षिक

4–**उपभोक्ता ऋण** :–

उदेश्य :– मजदूर वर्ग को घरेलू व अन्य आवश्यकताो के लिए ऋण

पात्रता:– सम्बन्धित पैक्स का सदस्य होना अनिवार्य है पैक्स का अतिदेय ऋणी न हो और सदस्य दिवालिया न हो ।

ऋण राशि :– आवश्यकता अनुसार अधिकतम ऋण सीमा मु0 10000 / –

ब्याज दर :– 12 प्रतिशत वार्षिक

5– **पर्सनल दुर्घटना इन्श्योरैन्स स्कीम** :–

बैंक अपनी 31 पैक्सो के माध्यम से सभी कृषक ऋणी सदस्यो का मु0 50,000 / –रूपये का मु0 1.58 पैसे की प्रीमियम की दर से बीमा करवाता है जिस के तहत कृषक ऋणी सदस्य की र्दुघटना के समय मृत्यु व अपंग होने पर उक्त बीमा राशि का लाभ दिया जाता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक अपनी 31 पैक्सो के 143 बिकी केन्द्रो के माध्यम से किसानो को खाद,बीज,दवाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है ।

2– **बैंक के माध्यम से एन0एफ0एफ0 स्कीम के तहत दिये जाने वाली स्कीमो का विवरण** :–

1– **इन्टरप्राइजिज ऋण स्कीम** :–

उदेश्य :– इस स्कीम के तहत बेरोजगार युवको को लघु उद्योग जैसे, दस्तकारी,हैण्डीकाफ्ट,हैण्डलूम,रेडिमेड गारमेंट,लैदर गुडस,व एस0एस0आई0सैक्टर के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अधीन स्कूल,कालेज,व स्वास्थ्य व अन्य से सम्बन्धित इकाईयो को ऋण सुविधा कृषि स्नातको के लिए एग्री0 क्लीनिक व एग्री0 बिजनैस के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना है ।

पात्रता:– जिला उद्योग केन्द्र,खादी ग्रामोद्योग,व की मार्फत एस0एस0आई0 स्कीम के तहत प्रायोजित इकाई व सीधे रूप में व्यक्तिगत प्रार्थी आयु 18 से 45 वर्ष ।

ऋण राशि :– **मु0 50,000 से लेकर अधिकतम मु0 20.00 लाख रूपये**

ब्याज दर :– 13 प्रतिशत वार्षिक 50,000 / – तक

14 प्रतिशत वार्षिक मु0 50001 / –से लेकर 20.00 लाख तक

दस्तावेज :– 1.00 लाख रूपये से उपर ऋण स्कीम की CA से अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट व ऋण की एवज मे डेढ गुणा सम्पति, वकील की सर्च रिर्पोट,जमीन की फर्द जमाबन्दी ।

जारी / –

2– **आर0सी0सी0 ऋण स्कीम :–**

उदेश्य :– इस स्कीम के तहत किसानो को उनकी घरेलू आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए ऋण

पात्रताः– किसान जिस के नाम कृषि योग्य भूमि कम से कम एक एकड ,प्रति एकड 1.50 लाख रूपये व अधिकतम 7.00 लाख रूपये

ऋण राशि :– न्यूनतम 1.50 लाख व अधिकतम 7.00 लाख रूपये

ब्याज दर :– 12 प्रतिशत वार्षिक दर

दस्तावेज :– ऋण की एवज मे डेढ गुणा सम्पति, वकील की सर्च रिर्पोट,जमीन की फर्द जमाबन्दी ,गिरदावरी, जमीन का सिजरा

3– **डेरी,पौल्ट्री,मछलीपालन व सूअरपालन ऋण स्कीम :–**

उदेश्य :– सरकार की नीति अनुसार डेयरी,पौल्ट्री,मछली पालन व सूअर पालन को बढावा देना ।

पात्रताः– पशुपालन विभाग की मार्फत प्रायोजित इकाई व सीधे रूप में व्यक्तिगत प्रार्थी आयु 18 से 45 वर्ष

ऋण राशि :– न्यूनतम मु0 50,000/–रूपये अधिकतम 20.00 लाख रूपये

ब्याज दर :– 14 प्रतिशत वार्षिक दर

दस्तावेज :– ऋण की एवज मे कोलक्टरल डेढ गुणा सम्पति, वकील की सर्च रिर्पोट,जमीन की फर्द जमाबन्दी ,गिरदावरी,

4– **लघु सिंचाई ऋण स्कीम :–**

उदेश्य :– किसानो की उंची नीची जमीन व मारू जमीन को सिचिंत करने के लिए, फव्वारा सैट,टयूबबैल,एक खेत से दूसरे खेत मे पानी पंहुचाने के लिए पाईप लाईन बिछाना

पात्रताः– किसान जिस के पास कृषि भूमि है ।

ऋण राशि :– 1 .00 लाख रूपये से 15.00 लाख रूपये तक

ब्याज दर :– 12 प्रतिशत वार्षिक दर

दस्तावेज :– जो कृषि योग्य भूमि जो खरीद की गयी वह बैंक के पक्ष मे आड रहन रहेगी , वकील की सर्च रिर्पोट,जमीन की फर्द जमाबन्दी ,गिरदावरी, इन्तकाल, इकरारनामा।

5– **अरबन व रूरल हाउसिंग ऋण स्कीम :–**

उदेश्य :– आवास के लिए ऋण सुविधा देना

पात्रताः– सरकारी व अर्ध–सरकारी ,पब्लिक सैक्टर से सम्बन्धित कर्मचारी व बिजनैसमैन ,

ऋण राशि :– शहरी क्षेत्र मे मु0 20.00 लाख तक

ग्रामीण क्षेत्र मे मु0 15.00 लाख रूपये तक

ब्याज दर :– 12 प्रतिशत वार्षिक दर

जारी/–

दस्तावेज :— शहरी क्षेत्र मे अप्रव्यूड कालोनी,प्लाट का स्वीकृत नक्शा,ऐस्टीमेंट,सम्बन्धित विभाग से वेतन प्रमाण पत्र, आयकर विवरणी 3 साल, सम्बन्धित ऐरिया के बैको का नो डयूज व ग्रामीण क्षेत्र में ,प्लाट का नक्शा,ऐस्टीमेंट,सम्बन्धित विभाग से वेतन प्रमाण पत्र, आयकर विवरणी 3 साल, सम्बन्धित ऐरिया के बैको का नो डयज व वकील की सर्च रिपोर्ट

6— स्माल ट्रांसपोर्ट ऋण स्कीम :—

उदेश्य :— पब्लिक गुडस व सवारी ढोने के वाहन जैसे आटो रिक्शा,टाटा 407 पिकअप टैक्सी,बस,ट्रक वाहन का व्यवसाय मे बढोतरी व बेरोजगार युवको को रोजगार देने व किसानो को अपनी फसल मण्डियो तक पहुंचाने के उदेदश्य से ।

पात्रताः— सम्बन्धित ऋणी की आयु 18 से 45 वर्ष तक,ड्राईविंग लाईसैन्स,

ऋण राशि :— सम्बन्धित वाहन का 85 प्रतिशत तक

ब्याज दर :— 14 प्रतिशत वार्षिक दर

दस्तावेज :— कोलेक्टर रेट की डेढ गुणा सम्पति, वकील की सर्च रिर्पोट,जमीन की फर्द जमाबन्दी,गिरदावरी, हाईपोथिकेशन डीड व्हीकल

7— कार ऋण स्कीम :—

उदेश्य :— सरकारी व अर्ध—सरकारी कर्मचारियो को कार वाहन की सुविधा देना ।

पात्रताः— सम्बन्धित ऋणी की आयु 18 से 50 वर्ष तक, ड्राईविंग लाईसैन्स,

ऋण राशि :— कार वाहन का 85 प्रतिशत तक

ऋण अवधि :— 5 वर्ष

ब्याज दर :— 12 प्रतिशत वार्षिक दर

दस्तावेज :— सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष की अण्डरटेकिग,वेतन प्रमाण पत्र नो डयूज, दो सरकारी व अर्ध—सरकारी कर्मचारियो की गुड सियोरटी ।

8— गोल्ड ऋण स्कीम :—

उदेश्य :— गोल्ड के बदले मे नकद ऋण की सुविधा देना ।

पात्रताः— सम्बन्धित ऋणी की आयु 18 से 50 वर्ष तक, ड्राईविंग लाईसैन्स,

ऋण राशि :— अधिकतम 2.00 लाख रूपये

ऋण अवधि :— 5 वर्ष

ब्याज दर :— 12 प्रतिशत वार्षिक दर

दस्तावेज :— वैल्यूवर से गोल्ड की वैल्यूऐशन रिर्पोट

जारी/—

9— कैश केडिट स्कीम :—

उदेश्य :— बिजनैसमैन को व्यापार बढाने के उददेश्य से

पात्रताः— सम्बन्धित ऋणी की आयु 18 से 50 वर्ष तक

ऋण राशि :— अधिकतम 20.00 लाख रूपये

ऋण अवधि :— 1 वर्ष

ब्याज दर :— 14 प्रतिशत वार्षिक दर

दस्तावेज :— , 3 साल की आयकर विवरणी,एस0टीनम्बर,स्टाक स्टेटमेंट,कैश केडिट राशि की डेढ गुणा सम्पति

10— परसनल लोन स्कीम :—

उदेश्य :— घरेलू आवश्यकतो की पूर्ति के लिए

पात्रताः— सरकारी व अर्ध—सरकारी ,पब्लिक सैक्टर से सम्बन्धित कर्मचारी,

ऋण राशि :— 5.00 लाख रूपये तक

ब्याज दर :— 12 प्रतिशत वार्षिक दर

ऋण अवधि :— 5 साल

दस्तावेज :— सम्बन्धित विभाग से वेतन प्रमाण पत्र, सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष की अण्डरटेकिंग,कर्मचारी की कनफरमेशन,दो सरकारी व अर्ध—सरकारी कर्मचारी गुड सियोरटी

महाप्रबन्धक,
दी जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,जीन्द